

राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

<<उप मंडल>> : <<जिला>>जिला

मूल निवास प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या : << प्रमाण-पत्र संख्या >>

दिनांक : << डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि >>

लाभार्थी की
फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि <<श्री /श्रीमती/सुश्री >> <<आवेदक का नाम>> <<पुत्र/पुत्री/पत्नी >> का <<पिता/पति का नाम>> दिल्ली का निवासी है जिसका निवास <<आवेदक का पता >> पर है।

यह प्रमाण-पत्र <<वैधता की तारीख>> तक वैध है।

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित : <<प्राधिकारी का नाम>>

पदनाम : <<प्राधिकारी का पदनाम>>

स्थान : << हस्ताक्षर करने का स्थल >>

हस्ताक्षर करने की तारीख और समय : <<हस्ताक्षर की तारीख और समय>>

1. यह प्रमाण-पत्र, समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुरूप वैध है।
2. इस प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता की जांच <<सत्यापन के लिए वेब एड्रेस>> से की जा सकेगी। इस दस्तावेज के विवरणों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से तुलना करने पर किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में इसे अवैध माना जाएगा।
3. सत्यता की जांच का दायित्व दस्तावेज के उपयोगकर्ता का है।
4. किसी विसंगति की स्थिति में कृपया इस प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करें।